रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 4 फरवरी, 1984/15 माघ, 1905

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 18 जनवरी, 1984

संख्या 3-28/82-इलैक०.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 82/हि० प्र०-वि०स० (1 और 2/82)/82-1982, दिनांक 26 दिसम्बर, 1983, संवादी 5 पौष, 1905 (शक), अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जन-साधारण की सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

आदेश से,
अत्तर सिंह,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

76-राजपत्र/84-4-2-84—1,332.

मूल्य: 20 पैसे।

भारत निर्वाचन आयोग

अशोक मार्ग,
नई दिल्ली-110001,
तारीख 26 दिसम्बर, 1983
पौष 5, 1905 (शक)

अधिसूचना

संख्या 82/हि0प्र0 वि0स0-(1 और 2/82)/82.—1982 की निर्वाचन अर्जी संख्या 1 और 2 में शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के तारीख 26-10-82 वाले निर्णय के विरुद्ध दाखिल की गई अपीलों में भारत के उच्चतम न्यायालय के तारीख 30-11-83 के आदेश को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 116ग (2) (ख) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग इसके द्वारा प्रकाशित करता है।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Ashok Marg,
NEW DELHI-110001.
Dated 26*th December*, 1983
Pausa 5, 1905 (Saka).

NOTIFICATION

No. 82/HP-LA/(1 & 2/82)/82.—In pursuance of Section 116C (2) (*b*) of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) the Election Commission hereby publishes the order dated the 30-11-83 of the Supreme Court of India in the appeals field against the judgment dated 26-10-82 of the High Court of Himachal Pradesh at Shimla in Election Petition No. 1 and 2 of 1982.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

(CIVIL APPELLATE JURISDICTION)

Civil Appeal Nos. 3756 and 3757 of 1982

Shri Virender Kumar .. Appellant.

Versus

Dalip Singh & Ors. etc. .. Respondents.

ORDER

In these election appeals which arise out of elections held on 19th May, 1982 for constituency No. 39 which was a reserved constituency of Himachal Pradesh Assembly the only point which falls for determination is whether the appellant was disqualified because his nomination paper was wrongly accepted. It is Common ground that he was a teacher in a Government School and sent his resignation on 13-4-1982, but ten days before this date, he had withdrawn six months

pay in advance which he did not deposit at the time when he sent his resignation to the appointing authority. In the circumstances, therefore, in law he would be deemed to be in Government service until the period for which the advance of salary was received or resignation was accepted by the authority concerned. It is, therefore, manifestly clear that at the time when he filled nomination paper he was holding an office of profit that is an office under the Government, and he was therefore, disqualified for standing as a candidate in an election under Article 191 of the Constitution which amounted to disqualification under section 101-A of the Representation of the People Act. The learned counsel for the appellant was not able to give any convincing reply to the wrongful acceptance of the election papers filed by the appellant. In the circumstances, we find no merit in these appeals which are dismissed. There will be no order as to costs.

.....
.....J
(S. Murtaza Fazel Ali)

New Delhi:
30th November, 1983.

..... J
(A. Varadarajan)

.....J
(Ranganath Misra).

By order,
DHARAM VIR,
Under Secretary Election Commission of India.

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 18 जनवरी, 1984

संख्या एफ० डी० एस० ए० (३)-15/80(पार्ट) —हिमाचल प्रदेश व्यापारिक वस्तुएं (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश, 1981 के प्रथम परन्तुक खण्ड 3 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल चाय की 1000 किलोग्राम (10 क्विंटल) तक की एक सीमा विहित करते हैं जिसके लिए उक्त आदेश के अधीन चाय का व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी ।

आदेशानुसार,
अत्तर सिंह
सचिव ।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FDS. A(3)-15/80-(P), dated 18-1-84 is published under Articles 348 (3) of the Constitution of India]

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 18 *January*, 1984

No. FDS-A(3)-15/80-(II).—In exercise of the powers conferred by first proviso to clause 3(1) of the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981, the Governor

of Himachal Pradesh is pleased to prescribe the limits of 1000 kilogram (10 quintals) of tea upto which no licence shall be required to deal in the tea under the aforesaid order.

By order,
ATTAR SINGH,
Secretary.

शिमला-171002, 18 जनवरी, 1984

संख्या एफ0 डी0 एस0 ए0 (3)-15/80-(पार्ट).--भारत सरकार, कृषि मन्त्रालय (खाद्य विभाग) के जी0 एस0 आर0 संख्या 800, दिनांक 9 जून, 1978 के अध्यधीन सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 23 मई, 1981 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश व्यापारिक वस्तुएं (अनुज्ञापन और नियन्त्रण) आदेश, 1981 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ.--(1) यह आदेश हिमाचल प्रदेश व्यापारिक वस्तुएं (अनुज्ञापन और नियन्त्रण) (तृतीय संशोधन) आदेश, 1984 कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

2. खण्ड-2 का संशोधन.--(1) हिमाचल प्रदेश व्यापारिक वस्तुएं (अनुज्ञापन और नियन्त्रण) आदेश, 1981 (जिसे इसमें इसके पश्चात् कथित आदेश कहा गया है) के खण्ड 2 में पैरा (ण) के पश्चात् आने वाले शब्द "और" को लोप किया जाए और चिन्ह तथा शब्द "; और" को पैरा (त) के अन्त में अन्तःस्थापित किया जाए; और

(2) पैरा (त) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा (थ) अन्तःस्थापित किया जाए अर्थात्, "(थ) "चाय" से प्लांट केमेलिया साइनिसिज (एल) ओ0 कुण्टंज और हरी चाय सहित उस पौध से बनाए गए व्यापारिक दृष्टि से चाय के रूप में ज्ञातव्य उत्पादन को सभी किस्में अभिप्रेत हैं।"

3. प्रथम अनुसूचि में संशोधन.--उक्त आदेश की अनुसूचि-1 के भाग (ङ) (अन्य वस्तुएं) की प्रविष्टि 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात् :

"4. चाय।"

4. अनुसूचि 2 में संशोधन.--अनुसूचि 2 की विद्यमान प्रविष्टि 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात :

"4. उनके लिए जो अनुसूची-1 के भाग-ङ में सम्मिलित वस्तुओं का व्यापार करते हैं

(क) यदि वार्षिक बिक्री 250 क्विटल से अधिक हो — 500/- रु0

(ख) यदि वार्षिक बिक्री 250 क्विटल से अधिक न हो — 200/- रु0

आदेशानुसार,
अत्तर सिंह,
सचिव।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FDS.A(3)-15/80-(P), dated 18-1-84 is published under Articles 348(3) of the Constitution of India]

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th January, 1984

No. F.D.S.A(3)-15/80-(P).—In exercise of the powers conferred under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Act No. 10 of 1955) read with Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) notification published under GSR No. 800, dated 9th June, 1978, the Governor of Himachal Pradesh hereby makes the following order, further to amend the H. P. Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981, published in the Rajpatra, dated 23-5-1981, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) This order may be called the Himachal Pradesh Trade Article (Licensing and Control) (Third Amendment) Order, 1984.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

2. *Amendment of clause* 2.—(1) In clause (2) of the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981 (hereinafter called the said order") the word "and" appearing after paragraph (o) shall be omitted; and the word & sign "and" shall be inserted at the end of paragraph (p), and

(*ii*) after paragraph (p) the following paragraph (g) shall be inserted, namely:

(g) 'tea' means the plant camelia sinesis (L) O. Kuntze as well as all varieties of the product known commercially as tea made from the said plant, including green tea."

3. *Amendment of Schedule-I.*—After entry 3 of part-E (other Articles) of Schedule-I of the said order, the following entry shall be added, namely:—

"4. Tea".

4. *Amendment of Schedule-II.*—For the existing entry 4 of Schedule-II the following entry shall be substituted:—

"4. *For those who deal in articles included in Part-E of* Schedule-I.

(*a*) if the annual sale exceeds 250 quintals : Rs. 500/-

(*b*) if the annual sale does not exceed 250 quintals: Rs.200/-

By order,
ATTAR SINGH,
Secretary.

वन खेती एवं परिवेष संरक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 जनवरी, 1984

संख्या एफ0टी0एस0 (ए0) 3-5/83.—हिमाचल प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम संख्यांक 5) की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल

प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के असाधारण राजपत्र दिनांक 19 फरवरी, 1983 में अधिसूचना संख्या एफ0टी0एस0 (ए0) 3-2/81, दिनांक 6 जनवरी, 1983 द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) नियम, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करने की प्रस्थापना करते हैं और प्रारूपित संशोधन को इससे सम्भवतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपने आक्षेप या सुझाव प्रस्तुत करना चाहे, प्रारूपित संशोधन के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उन्हें सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकता है।

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों या सुझावों पर प्रारूपित संशोधन को अन्तिम रूप देने से पूर्व सम्यक रूप से विचार किया जाएगा :—

प्रारूपित संशोधन

हिमाचल प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) नियम, 1982 के नियम 5 के उप-नियम (2) के विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (ग) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात—

"हिमाचल प्रदेश भू-संरक्षण अधिनियम, 1978 के अधीन बनाए गए दस वर्षीय कटान कार्यक्रम के अधीन कटान के लिए नियत क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के दो प्रधान।"

आदेशानुसार,
बी0 सी0 नेगी,
सचिव।

[Authoritative English Text of Notification No. Fts. (A) 3-5/83, dated 17-1-84 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.]

FOREST FARMING AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 17*th January*, 1984

No. Fts. (A) 3-5/83.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 17 of the Himachal Pradesh Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1982 (Act No. 5 of 1982), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to propose to make the following amendments in the Himachal Pradesh Forest Produce (Regulation of Trade) Rules, 1982 as notified *vide* Notification No. Fts. (A) 3-2/81, dated 6-1-1983 and published in (Extraordinary) Rajpatra Himachal Pradesh, dated 19-2-1983 and to publish the draft amendments in the Rajpatra, Himachal Pradesh for the information of the persons likely to be affected thereby.

Any person having any objections/suggestions to make may do so and send the same to the Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, within a period of 30 days from the date of publication of the draft amendment in the Rajpatra; Himachal Pradesh.

The objections/suggestions received within the period specified above will be duly considered before finalisation of the draft amendments:—

DRAFT AMENDMENTS

For the existing clause (c) of sub-rule (2) of rule 5 of the Himachal Pradesh Forest Produce (Regulation of Trade) Rules, 1982, the following clause (*c*) shall be substituted, namely:—

"two Pradhans of Gram Panchyats of the area, due for felling under the approved 10 years felling programme formulated under section 4 of the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978."

By order,
B. C. NEGI,
Secretary.

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला, 21 जनवरी, 1984

क्रमांक संख्या गृह(ए) (ए) (3)-9/82.—कंजरवेशन आफ फारेन एक्सचेंज एण्ड प्रोवेंशन आफ स्मगलिंग एक्टीविटीज ऐक्ट, 1974 की धारा (8) उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए तथा माननीय मुख्य न्यायमूर्ति हिमाचल प्रदेश उच्च-न्यायालय की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए निम्न "सलाहकार बोर्ड" का तुरन्त सहर्ष गठन करते है :—

1. माननीय न्यायमूर्ति, टी0 आर0 हाण्डा, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय .. अध्यक्ष ।
2. माननीय न्यायमूर्ति, व्योम प्रकाश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय .. सदस्य ।
3. माननीय न्यायमूर्ति, डी0 बी0 लाल (सेवानिवृत), हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय .. सदस्य ।

आज्ञा से,
इन्द्र कुमार सूरी,
आयुक्त एवं सचिव ।

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st January, 1984

No. Home(A)A(3)-9/82.—In exercise of the powers conferred on him under section 8 sub-section (*a*) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974, and in accordance with the recommendations of the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute with immediate effect, the Advisory Board for the State of Himachal Pradesh as under:—

1. Mr. Justice T. R. Handa, Judge of the High Court of Himachal Pradesh. ... *Chairman*
2. Mr. Justice Vyom Prakash, Judge of the High Court of Himachal Pradesh. ... *Member*
3. Mr. Justice D. B. Lal, (Retd.) Judge of the High Court of Himachal Pradesh. ... *Member*

By order,
I. K. SURI,
Commissioner-cum-*Secretary.*

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 18*th January*, 1984

No. LSG.A(4)-13/76-II.—In exercise of the powers conferred by Section 252-A of the Municipal Act, 1968, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint with immediate effect the Sub-Divisional Officer, Chamba to act as the Administrator of M.C. Chamba instead of GA to Deputy Commissioner, Chamba who was appointed as administrator of the aforesaid Committee *vide* notification of even number, dated 29th October, 1983.

By order,
Sd/-
Secretary.

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 18 जनवरी, 1984

सं0 पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5)-37/79.—क्योंकि श्री लक्ष्मण दास, प्रधान (निलम्बित) ग्राम पंचायत दियाड़ा, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना में ग्राम पंचायत दियाड़ा में पंचायत की सरायं जो कि मुरम्मत के योग्य थी को गिरवा दिया तथा उसकी टीन के पतरे मु0 2850 रु0 में अपने नाम निलाम करके बाकी सामान खुर्द-बुर्द कर दिया। इसके लिय पंचायत की कोई स्वीकृति नहीं ली गई। मु0 2850 रु0 की राशि को पंचायत में जमा न करके अपने निजी प्रयोग में लाई बताई गई है तथा साथ ही एक आम का वृक्ष जो कि समिति द्वारा स्कूल के निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया था, काट कर उसकी इमारती लकड़ी व बालन का हिसाब भी पंचायत रिकार्ड में नहीं रखा तथा उसका दुरुपयोग किया बताया गया है;

और क्योंकि उक्त प्रधान के विरुद्ध आरोपों में वास्तविकता जानने के लिये नियमित जांच करवानी आवश्यक है;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री लक्ष्मण दास के विरुद्ध आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (डी) के अन्तर्गत नियमित जांच करने हेतु सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट अम्ब को जांच अधिकारी नियुक्त करते है। वह अपनी रिपोर्ट जिलाधीश ऊना को टिप्पणियों सहित एक मास तक इस निदेशालय को भेज देंगे।

CORRIGENDUM

Shimla-171002, *the* 19*th January*, 1984

No. PCH-HA (3)-4/76-II.—The words "Chapter I" as appearing in notification of even No. dated 28th November, 1983 Published in the Rajpatra Himachal Pradesh (extraordinary) dated 10th December, 1983 shall be read as "Chapter-II".

D. K. NEGI
Under Secretary.

राजस्व विभाग

(स्टाम्प रजिस्ट्रेशन)

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जनवरी, 1984

संख्या रैव-1-6(स्टाम्प)-2/80.—इस विभाग की सम संख्या अधिसूचना, दिनांक 25-3-1982 का अधिक्रमण करते हुए एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 की अधिनियम संख्या 2), जैसा कि हिमाचल प्रदेश में लागू है, की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, समस्त हिमाचल प्रदेश में, कृषि और विकास कार्यों हेतु छोटे और मंझोले किसानों, भूमिहीन मजदूरों, अन्य मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों और उन व्यक्तियों को जो ग्रामीण विकास अजैन्सी द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे दर्शाए गए हैं, व्यवसायक बैंकों से 25,000 (पच्चीस हजार) रुपये की राशि सीमा तक प्राप्त किए जाने वाले ऋणों के लिए निष्पादित किसी भी विलेख पर स्टाम्प शुल्क से सहर्ष तुरन्त छूट प्रदान करते हैं।

आदेशानुसार,
अत्तर सिंह,
सचिव।

[*Authoritative English text to Government Notification No. Rev*-1-6 (*Stamp*) 2/80 *dated* 24-1-84 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

REVENUE DEPARTMENT

(STAMP REGISTRATION)

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 24*th January*, 1984

No. Rev.-1-6(Stamp)2/80.—In supersession of this department notification of even number, dated the 25th March, 1982 and in exercise of the powers conferred upon him by sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. II of 1899), as in force in the State of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to remit the stamp duty chargeable under the said Act, on any instrument executed by the small/marginal farmers, landless agricultural labourers, other labourers, village artisans and cases identified by the Rural Development Agency living below the poverty line, for borrowing loans by them for agriculture/developmental activities upto the limit of Rs. 25,000/- (Rs. twenty five thousand) with immediate effect in the whole of Himachal Pradesh.

By order,
ATTAR SINGH,
Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हि० प्र०, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।